

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-2/2018/1/3

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई-2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय- राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

संदर्भ-(1) विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल,
दिनांक 05 जून, 2018

(2) विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल,
दिनांक 25 जुलाई, 2018

(3) विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल,
दिनांक 22 जुलाई, 2020

--00--

विषयान्तर्गत एवं संदर्भित परिपत्रों के अनुक्रम में शासन के विभागों के अंतर्गत नियुक्त संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं-

1. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर

- 1.1 राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासन के विभिन्न विभागों में संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों के विरूद्ध नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- 1.2 इस उद्देश्य से राज्य शासन के विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में सर्वप्रथम सीधी भर्ती के नियमित पदों से संविदा पदों के समकक्षता निर्धारण की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा इस परिपत्र की कंडिका-3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- 1.3 समकक्षता निर्धारण की कार्यवाही के पश्चात विभाग के जिन संविदा पदों का सीधी भर्ती के नियमित पद के साथ समकक्षता का निर्धारण हो जाता है, ऐसे सीधी भर्ती के नियमित पदों को संविदा पद पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने की कार्यवाही निम्नानुसार संपादित की जाएगी-
 - 1.3.1 विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद (दोनों में से जो कम हो), संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों अथवा संदर्भित पूर्व निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (Joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 1.4 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

- 1.4.1 विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक निरंतर संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरूद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 1.4.2 सेवा नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 1.5 यदि किसी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद से समकक्षता निर्धारण के पश्चात 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो।
- 1.6 अगर किसी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
- 1.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जिसके लिए वह इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार नियमित पद से समकक्षता एवं अर्हता रखता

हो। यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है, उसी विभाग में उसे नियमित नियुक्ति के अवसर दिए जायें।

- 1.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 1.9 संविदा अधिकारी/ कर्मचारियों के लिए इस प्रकार आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसके लिए नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाये जाकर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा।
- 1.10 संविदा अधिकारी/ कर्मचारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है कि विभाग स्तर पर समकक्षता स्तर की कार्यवाही इस परिपत्र की कंडिका-3 के अनुसार होगी।
- 1.11 संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी/ कर्मचारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फोरवर्ड नहीं किए जाएंगे।

1.12 नियमित पदों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

2. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति

2.1 राज्य सरकार द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर शासकीय सेवकों की भांति उनके आश्रित एक सदस्य को संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर, 2014, पत्र क्रमांक 136/109/2021/1/3, भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2021, पत्र क्रमांक सी 03-06/2021/1/3, भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2023, पत्र क्रमांक सी 03-12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2023, पत्र क्रमांक सी 03-12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 19 जून, 2023 एवं भविष्य में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

3. संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण

- 3.1 वर्तमान में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों के समकक्ष वर्गीकरण करने की कार्यवाही परिशिष्ट-1 अनुसार सुनिश्चित की जावे। यह कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई-2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए।
- 3.2 विभाग अंतर्गत स्वीकृत संविदा के जिन पदों के लिए विभाग में समकक्ष नियमित पदों अथवा सुसंगत वेतनमान के वर्गीकरण में कठिनाई है, उन्हें विभाग पृथक से चिन्हित करें।

- 3.3 उपरोक्त कण्डिका-3.1 के अनुसार किए गए वर्गीकरण की कार्यवाही का अनुमोदन एवं कण्डिका-3.2 के अनुसार चिन्हित पदों/ वेतनमान के समकक्ष नियमित पदों में वर्गीकरण में आ रही कठिनाई का निराकरण मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित सक्षम समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। समिति की बैठक आयोजित कराने एवं पदों के वर्गीकरण तथा समकक्षता निर्धारण की कार्यवाही को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा। यह कार्यवाही दिनांक 10 अगस्त-2023 तक पूर्ण कर ली जाए।
- 3.4 समिति के निर्णय के अनुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 25 अगस्त-2023 तक विभाग अंतर्गत स्वीकृत सभी संविदा पदों के सुसंगत नियमित वेतनमान में वर्गीकरण एवं उन पदों की नियमित पदों के साथ समकक्षता निर्धारण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाकर सामान्य प्रशासन विभाग को इस आशय का प्रमाण-पत्र 30 अगस्त-2023 अथवा इसके पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा।
- 3.5 भविष्य में संविदा के नवीन पद सृजित होने की स्थिति में विभाग द्वारा उक्त संविदा पद के वर्गीकरण एवं नियमित पद से समकक्षता का निर्धारण एवं सुसंगत वेतनमान में वर्गीकरण की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी।

4. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि

4.1 ऐसे संविदा पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी, जिनकी संविदा नियुक्ति दिनांक 1 अप्रैल, 2018 के पूर्व हुई हो एवं जो नियुक्ति दिनांक से निरंतर उक्त संविदा पद पर कार्यरत हैं, का पारिश्रमिक पुर्ननिर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा-

4.1.1 इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समस्त संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक दिनांक 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में समकक्ष नियमित पद के शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान अंतर्गत संबंधित पे-मेट्रिक्स लेवल के न्यूनतम मूल वेतन के 100% के बराबर काल्पनिक आधार पर प्रगणित कर पुर्ननिर्धारित किया जाएगा।

4.1.2 दिनांक 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे मासिक पारिश्रमिक तथा कंडिका 4.1.1 के अनुसार प्रगणित पारिश्रमिक में से जो अधिक हो, उसे संविदा अधिकारी/ कर्मचारी के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में काल्पनिक आधार पर पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक माना जावेगा।

4.1.3 कंडिका 4.1.2 के अनुसार पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक में उपभोक्ता मूल्यसूचकांक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.69%, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5.16%, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4.88%, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5.94%, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.77% की वृद्धि कर दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में देय पारिश्रमिक का निर्धारण किया जायेगा। प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि, विगत वर्ष में वार्षिक वृद्धि जोड़कर पुर्ननिर्धारित किए गए पारिश्रमिक पर आगामी 100 रूपये के गुणांक तक पूर्णांकित कर प्रगणित की जायेगी।

- 4.1.4 इस प्रकार प्रगणित एवं पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक संबंधित संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को दिनांक 01 अगस्त-2023 से देय होगा।
- 4.1.5 यदि किसी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्राप्त पारिश्रमिक, कंडिका 4.1.1 से कंडिका 4.1.3 अनुसार प्रगणित पारिश्रमिक से अधिक है तो संविदा अधिकारी/ कर्मचारी का वर्तमान पारिश्रमिक ही 1 अप्रैल-2023 की स्थिति में काल्पनिक आधार पर पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक माना जावेगा।
- 4.2 ऐसे संविदा अधिकारी/ कर्मचारी, जिनकी संविदा नियुक्ति 1 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात हुई है एवं वे उस दिनांक के पश्चात निरंतर संविदा पद पर कार्यरत हैं, का पारिश्रमिक पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा -
- 4.2.1 इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समस्त संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण वर्तमान संविदा पद पर उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि को आधार मानते हुए समकक्ष नियमित पद के शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान अंतर्गत संबंधित पे-मेट्रिक्स लेवल के न्यूनतम मूल वेतन के 100% के बराबर काल्पनिक आधार पर प्रगणित कर पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
- 4.2.2 संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को वर्तमान संविदा पद पर नियुक्ति तिथि की स्थिति में प्राप्त हो रहे मासिक पारिश्रमिक तथा कंडिका 4.2.1 के अनुसार प्रगणित पारिश्रमिक में से जो अधिक हो, उसे संविदा अधिकारी/ कर्मचारी के लिए उनकी वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि की स्थिति में काल्पनिक आधार पर पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक माना जावेगा।
- 4.2.3 कंडिका 4.2.2 के अनुसार पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.69%, वित्तीय वर्ष

2020-21 में 5.16%, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4.88%, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5.94%, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.77% की वृद्धि कर दिनांक 1 अप्रैल-2023 की स्थिति में देय पारिश्रमिक का निर्धारण किया जायेगा। प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि, विगत वर्ष में वार्षिक वृद्धि जोड़कर पुनर्निर्धारित किए गए पारिश्रमिक पर आगामी 100 रूपये के गुणांक तक पूर्णांकित कर प्रगणित की जायेगी।

4.2.4 इस प्रकार प्रगणित एवं पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक संबंधित संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को दिनांक 01 अगस्त-2023 से देय होगा।

4.2.5 यदि किसी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को दिनांक 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में प्राप्त पारिश्रमिक, कंडिका 4.2.1 से कंडिका 4.2.3 अनुसार प्रगणित पारिश्रमिक से अधिक है, तो संविदा अधिकारी/ कर्मचारी का वर्तमान पारिश्रमिक ही 1 अप्रैल-2023 की स्थिति में काल्पनिक आधार पर पुनर्निर्धारित पारिश्रमिक माना जावेगा।

4.3 म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 एवं उसके पश्चात संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की गणना हेतु प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक AICPIN (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत प्रगणित एवं अधिसूचित करने की कार्यवाही नियमित रूप से संपादित की जाएगी।

- 4.4 संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को देय वार्षिक वृद्धि निरंतर एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने के माह के प्रथम तिथि को देय होगी। अर्थात 15 जुलाई-2022 को संविदा नियुक्त को वार्षिक वृद्धि 1 जुलाई-2023 को देय होगी।
- 4.5 यदि कोई संविदा अधिकारी/ कर्मचारी, जो किसी विभाग के किसी संविदा पद पर कार्य करने के पश्चात किसी अन्य विभाग के किसी अन्य संविदा पद पर नियुक्त हो अथवा एक ही विभाग के पृथक-पृथक अथवा एक ही संविदा पद के विरुद्ध अलग-अलग समयावधि में पदस्थ रहने की स्थिति निर्मित हो तो ऐसी स्थितिमें मासिक पारिश्रमिक तथा उस पर वार्षिक वृद्धि की गणना संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की वर्तमान संविदा पद पर नियुक्ति तिथि के आधार पर की जाएगी।

5. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति

- 5.1 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियोंको एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वतः व्यपगत हो जाएगा।
- 5.2 संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश, की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी, जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम, 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त पुरूष अधिकारी/ कर्मचारियों को वर्णित अवकाश नियम अनुसार 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
- 5.3 उपरोक्त संशोधनों को आधार मानकर उपरोक्तानुसार वर्णित अवकाश श्रेणियों से संबंधित पूर्व स्वीकृत/ निराकृत प्रकरण पुनः नहीं खोले जाएंगे।

6. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ अनुबंध निष्पादन

- 6.1 संविदा पर कार्य करने हेतु नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के अनुबंधों को एक बार निष्पादित किए जाने के पश्चात समान संविदा शर्तों पर पुनः नये सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 6.2 यदि वार्षिक सेवा मूल्यांकन के आधार पर संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद पाया जाता है और उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक अथवा अभियोजन कार्यवाही प्रचलित न हो अनुबंध का स्वतः ही समान शर्तों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा। प्रचलित अनुबंध पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी 1 वर्ष के नवीनीकरण की टीप दर्ज की जावेगी तथा पुनः फ्रेश अनुबंध निष्पादित करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

7. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को उपादान भुगतान

- 7.1 संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की आयु, जिस माह में 62 वर्ष हो रही है, उस माह के अंतिम दिवस को उनकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएगी परन्तु यदि किसी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की जन्मतिथि माह की पहली तारीख है तब उसकी सेवा पूर्व माह के अंतिम तिथि को समाप्त मानी जाएगी।
- 7.2 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को नियमित शासकीय सेवकों की भांति उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उपादान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
- 7.3 उपादान भुगतान का यह प्रावधान उन संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों पर लागू होगा, जिनकी 01 अगस्त, 2023 के पश्चात सेवा पूर्ण होने अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो।

8. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ

8.1 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

9. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान

- 9.1 संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा युक्तियुक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जाए।
- 9.2 यदि सक्षम प्राधिकारी को संविदा पर नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जाँच पश्चात इस बात का समाधान हो जाता है कि शिकायत/ आरोप गंभीर प्रकृति के हैतो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी प्रकरण में जाँच आदेशित करेगा।
- 9.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपचारी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों/ शिकायतों की जाँच की कार्यवाही अपचारी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आरोप/ शिकायत प्राप्ति से 2 माह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी।
- 9.4 शिकायत/ आरोप की विस्तृत जांच की अवधि में अपचारी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को शासकीय कार्यों से विरत रखा जाएगा एवं इस अवधि में संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को उसके निर्धारित मासिक पारिश्रमिक का 50% पारिश्रमिक ही प्राप्त होगा। जांच के पश्चात दोषमुक्त होने की स्थिति में रोके गए संपूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
- 9.5 शिकायत/ आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में अपचारी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की जांच अवधि के दौरान रोका गया 50% पारिश्रमिक स्थाई रूप से वापस ले लिया जाएगा तथा अपचारी अधिकारी/ कर्मचारी के पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष होने वाली वार्षिक वृद्धि का लाभ भी आरोपों की गंभीरता के आधार पर

अधिकतम आगामी 2 वित्तीय वर्ष के लिए रोके जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी का समाधान होने पर दण्ड स्वरूप संविदा अधिकारी/ कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

- 9.6 इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व की तिथियों में यदि संविदा अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत की जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो अथवा वर्तमान में प्रचलित/ लंबित हो तो ऐसी कार्यवाहियों पर इस परिपत्र की सुसंगत कंडिकाएं लागू नहीं होगी।
- 9.7 शिकायत/ आरोप की जांच के दौरान अपचारी संविदा अधिकारी/ कर्मचारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।
- 9.8 संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियुक्तकर्ता प्राधिकारी स्तर पर संधारित किया जाएगा। वार्षिक कार्य मूल्यांकन में संविदा अधिकारी/ कर्मचारी का कार्य असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

10. संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ

- 10.1 संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक पृथक योजना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा तैयार की जाकर सक्षम अनुमोदन पश्चात उसे लागू किया जाएगा।

11. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

- 11.1 संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों के समकक्ष नियमित पदों एवं वेतनमान के अनुरूप श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण, संविदा पारिश्रमिक एवं उसमें वार्षिक वृद्धि के निर्धारण तथा सेवा शर्तों में संशोधन के संबंध में इस परिपत्र में उपरोक्तानुसार वर्णित प्रावधानों के अनुक्रम में संबंधित विभागों द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की वर्तमान संविदा सेवा शर्तों को इन निर्देशों की सीमा तक तत्काल

प्रभाव से स्वमेव संशोधित माना जाएगा और भविष्य में संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में उपरोक्तानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से जोड़े जाएंगे।

- 11.2 समस्त संबंधित विभागों द्वारा प्रशासित संविदा अनुबंध तथा इस हेतु निर्धारित सुसंगत प्रक्रियाएं एवं वर्णित प्रावधान, इस परिपत्र में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप एवं उस सीमा तक तत्काल प्रभाव से स्वमेव संशोधित माने जाएंगे।
- 11.3 इस परिपत्र के जारी होने के फलस्वरूप संदर्भित परिपत्र दिनांक 05 जून, 2018, दिनांक 25 जुलाई-2018 एवं दिनांक 22 जुलाई, 2020 को एतद द्वारा अधिक्रमित किया जाता है, किन्तु इन परिपत्रों के अनुपालन में पूर्व में की गई कार्यवाहियाँ इस आधार पर व्यपगत नहीं मानी जाएंगी।
- 11.4 विभागों द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित आवश्यक परिवर्तन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 11.5 मध्यप्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम/ मण्डल/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्थानीय निकाय/ विश्वविद्यालय/ आयोग/ विकास प्राधिकरण/ बोर्ड/ परिषद/ संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कार्मिकों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।
उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(गिरीश शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग